संख्या-1/2022/336/एक-14-2022-14099/10/2021

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्तजिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-14 **लखनऊः दिनांक 30 जून, 2022**

विषयः-स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों में से ऐसे ग्रामों, जो वर्तमान में किसी नगर निकाय क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि) में सम्मिलित हो चुके हैं, में भी आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्तविषयकआयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-जी-256/9-36/2020 दिनांक 19-05-2022 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ''स्वामित्व योजना'' के अन्तर्गत दिनांक 15-06-2020 व 15-07-2020 को कुल 82913 ग्राम एवं दिनांक 25-04-2022 को अवशेष27400 ग्राम, कुल 1,10,313 ग्राम राजस्व संहिता की धारा 43(2) के अन्तर्गत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया हेतु अधिसूचित किये गये है। उक्त अधिसूचनाओं के जारी होने के पश्चातअधिसूचितग्रामोंमेंसे कतिपय ग्राम नगर निकाय क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि) में सम्मिलित किये गये हैं। इस कारण वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि) में सम्मिलित हो चुके ग्रामों में स्वामित्व योजना के अन्तर्गत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया का कार्य नही किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं के पश्चात, जो ग्राम नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकायों में सम्मिलित किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसार अधिकांश ग्रामों की प्रकृति/परिवेश ग्रामीण ही है और इन ग्रामों के निवासियों को नगरीय/स्थानीय निकाय क्षेत्र की सुविधाये प्राप्त नही हो रही है। इसके अतिरिक्त इन ग्रामों में भी आबादी भूखण्डों से सम्बन्धित कोई अभिलेख नही है तथा उक्त ग्रामों के निवासियों द्वारा इन ग्रामों में आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया का कार्य कराये जाने की मांग की जा रही है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 15-06-2020, 15-07-2020 व 25-04-2022 को विषयगतअधिसूचनाओके निर्गतहोने के पश्चात,ऐसेग्रामजो, नगर निकाय क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि) में सम्मिलित किये गये है, में भी स्वामित्व योजना के अन्तर्गत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के कार्य को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1/2022/336 /एक-14-2022 , तददिनांक

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक19-05-2022 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
3. समस्त मण्डलायुक्त।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in